<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

<u>उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर</u>

युगल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

<u>दांडिक अपील क्र. 551/2005</u>

भरतलाल भंडारी

विरुद्ध

छ.ग. राज्य

<u>निर्णय हेतु विचारार्थ</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मेरी सहमति है

हस्ताक्षरित/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

हस्ताक्षरित/-

श्री राधेश्याम शर्मा

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 551/2005

अपीलार्थी : भरतलाल भंडारी, आयु लगभग 26 वर्ष,

पिता – बिसेराम

जाति सतनामी,

निवासी – चरनिटोला, थाना लोरमी,

जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

उत्तरवादी – छ.ग. राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: अपीलार्थी की ओर से श्री अरुण कोचर, अधिवक्ता

छ.ग. राज्य शासन की ओर से श्री राजेन्द्र त्रिपाठी, अधिवक्ता

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2)दंड प्रक्रिया संहिता

निर्णय

12 जुलाई 2012 को प्रदत्त

न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा के अनुसार:

यह अपील दिनांक 24-06-2005 को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), मुंगेली द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 268/2004 में पारित निर्णय के विरुद्ध दाखिल की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी भरतलाल भंडारी को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सिद्धदोष ठहराया गया है तथा उसे आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया गया है। साथ ही, उस पर ₹1,000/- का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। अर्थदंड का भुगतान न करने की स्थिति में, उसे अतिरिक्त तीन माह का कठोर कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रेखचंद उर्फ़ केजहा (अ.सा.1) ग्राम चरनीटोला में निवास करता था और कृषि कार्य करता था। घटना दिनांक 13-04-2004 को लगभग दोपहर 3:30 बजे वह ग्राम चरनीटोला में स्थित अपने कोठार में था। उसी समय उसका पुत्र नीलचंद (अ.सा.5) दौड़ते हुए आया और बताया कि उसके बड़े भाई राधेश्याम पर, डॉ. लक्ष्मीनारायण के दरवाजे के पास, किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार(तब्बल)से हमला किया है। राधेश्याम पर गर्दन के पीछे एक वार तथा सिर पर 2-3 बार वार किया गया। गर्दन के दाहिने भाग पर नुकीले हथियार से गड्ढा हो गया जिससे गर्दन, सिर और आँख के नीचे से रक्तस्राव हो रहा था। जब रेखचंद (अ.सा.1) अपने पुत्र नीलचंद(अ.सा.5) के साथ घटनास्थल की ओर जा रहा था, तब रास्ते में उसका भाई एलन (अ.सा.2), भाभी पीलाबाई(अ.सा.12), कौशिल्याबाई, उदयराम (अ.सा.7), बांकेलाल और सीताराम मिले, जिनके साथ राधेश्याम को ट्रैक्टर द्वारा लोरमी अस्पताल ले जाया गया। रेखचंद(अ.सा.1) ने पुलिस थाना लोरमी में प्रथम सूचना रिपोर्ट(प्र.पी 1) दर्ज कराई और संदेह व्यक्त किया कि अपीलार्थी, जिसने पूर्व में राधेश्याम को जान से मारने की धमकी दी थी, ने ही हमला कर चोट पहुँचाई होगी। राधेश्याम को चिकित्सीय परीक्षण(प्र.पी 10अ) हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोरमी भेजा गया। डॉ.सागर

शुक्ला(अ.सा.15) ने घायल राधेश्याम का परीक्षण कर उसके शरीर पर लगभग 6 चोटें पाए जाने का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन (प्र.पी 10) दिया। उन्होंने रोगी को रेडियोलॉजिकल जाँच हेतु जिला अस्पताल, बिलासपुर भेजा। उपचार के दौरान राधेश्याम की सिम्स (छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस), बिलासपुर में मृत्यु हो गई। मृत्यु सूचना (मर्ग सूचना) (प्र.पी 12) पुलिस थाना सिटी कोतवाली, बिलासपुर में दर्ज की गई तथा एक दूसरी मृत्यु सूचना (प्र.पी 18) पुलिस थाना लोरमी में दर्ज की गई। विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक एल.सी.मोहले(अ.सा.22), थाना लोरमी, सिम्स (छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस) बिलासपुर पहुँचे, पंचों को सूचना (प्र.पी 2अ) दिया और मृतक राधेश्याम के शव का पंचनामा (प्र.पी 2) तैयार किया। शव को शव परीक्षण(प्र.पी-13) हेतु भेजा गया। डॉ.अरविंद शुक्ला(अ.सा.23) ने मृतक का शव परीक्षण किया और शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्र.पी 13अ) दिया, जिसमें उन्होंने चोटों का विवरण प्रस्तुत किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृतक के शरीर पर निम्नलिखित हाल ही के चोटों के निशान पाए गए-

(1)बाएं गाल, माथे, भौं के बाहरी आधे हिस्से के ऊपर बाईं तरफ खरोंच के ताज़ा निशान

(2) बाएँ ललाट एवं पृष्ठीय पार्श्व अस्थि(फ्रंटो-पैराइटल)क्षेत्र पर हाल ही में ठीकहुआ घाव,

इस घाव के नीचे ललाट अस्थि (फ्रंटल बोन) क्षैतिज एवं तिरछे रूप से कटी हुई थी,

जिसकी लंबाई लगभग 7 सेमी तथा गहराई 0.5 सेमी थी।

(3) दाएँ पार्श्विका पश्चकपाल(पैराइटो-ऑक्सिपिटल) क्षेत्र पर हाल ही में ठीक किया हुआ

घाव, जो धनु सिवनी **{**सैजिटल स्यूचर(खोपड़ी के पीछे अस्थियों के बीच का संयोजी उत्तकजोड़)**}** के समानांतर था। इसके नीचे पर्श्वकपाल सल्कस **{**पैराइटल-ऑक्सिपिटल(मस्तिस्क के सेरेब्रल कार्टेक्स में स्थित बहुत गहरी खांच)**}** अस्थि कटी हुई थी और मस्तिष्कीय पदार्थ बाहर आ गया था। घाव का आकार लगभग 8 सेमी×1.5 सेमी था।

(4)ऑक्सिपिटल **{**(मस्तिष्क के पीछे के बांया हिस्सा)}क्षेत्र तथा नीचे की हड्डी पर हाल ही का 5सेमी×0.5सेमी का घाव था।

(5) गर्दन के बाहरी और दाएँ हिस्से पर हाल ही में ठीक हुआ घाव।

चिकित्सक ने अभिमत दिया कि मृत्यु का कारण, सिर की चोट व चोट संख्या (3) की वजह नाड़ियों से रक्तस्राव के परिणामस्वरूप हुआ आघात (शॉक) था।

आगे की विवेचना में, अपीलार्थी का मेमोरेंडम बयान (प्र.पी 8) धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया और उसकी निशानदेही के आधार पर अपराध में प्रयुक्त हथियार अर्थात टंगिया (कुल्हाड़ी)उससे प्र.पी 9 के अध्यधीन जप्त किया गया। घटनास्थल का नक्शा (प्र.पी 4) पटवारी संतोष राज पटवर्धन(अ.सा.-8) द्वारा तैयार किया गया। एक अन्य स्थल नक्शा (प्र.पी 16) विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक एल.सी. मोहले (अ.सा.22) द्वारा तैयार किया गया। घटनास्थल से साधारण मिट्टी, रक्तरंजित मिट्टी तथा रक्तरंजित सफेद कपड़ा प्र.पी -7 के अध्यधीन जब्त किया गया। अपीलार्थी को प्र.पी-15 के अध्यधीन गिरफ्तार किया गया। जब्त की गई वस्तुओं को प्र.पी-20 के अध्यधीन रासायनिक परीक्षण हेतु रायपुर स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। जहाँ से प्रतिवेदन (प्र.पी-22) प्राप्त किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थी के विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मुंगेली के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात, मामले को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को उपार्पित किया गया, जहाँ से यह द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), मुंगेली को अंतरण पर प्राप्त हुआ। उन्होंने ही इस मामले का विचारण किया और अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराकर उपरोक्त दंडादेश दिया।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अरुण कोचर, ने तर्क प्रस्तुत किया कि एलन(अ.सा.2), नीलचंद (अ.सा.5) और रेखचंद(अ.सा.1) ने घटना को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा। यदि उन्होंने घटना देखी होती, तो उसका उल्लेख प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी-1) में होता। यह प्रतिवेदन रेखचंद (अ.सा.1) द्वारा दर्ज कराई गई थी। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि नीलचंद(अ.सा.5) ने रेखचंद

(अ.सा.1) को बताया कि मृतक राधेश्याम को किसी अज्ञात व्यक्ति ने मारा। इसमें यह भी दर्ज है कि एलन (अ.सा.2), उदयराम(अ.सा.7), पीलाबाई(अ.सा.12) और कौशिल्याबाई रास्ते में रेखचंद (अ.सा.1) से मिले, परंतु उन्होंने हमलावर का नाम नहीं बताया। यदि उन्होंने घटना देखी होती, तो वे हमलावर का नाम बताते और रेखचंद उसे प्राथमिकी(अ.सा.1) में दर्ज कराता। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि पीलाबाई (अ.सा.12) का मृत्युकालिक मौखिक कथन संबंधी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि ओमशिवा (अ.सा.3) एक बाल साक्षी है। वह प्रशिक्षित कर तैयार साक्षी है। अतः उसका साक्ष्य निश्चायक और विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध नहीं की जा सकती। एलन(अ.सा.2) और नीलचंद (अ.सा.5) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं। अभियोजन मौखिक मृत्युकालिक कथन सिद्ध नहीं कर पाया। अतः बाल साक्षी ओमशिवा(अ.सा.3) का एकमात्र साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और दोषसिद्धि के लिए आधार नहीं हो सकता। इसलिए अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. राज्य शासन/प्रत्यर्थी के पैनल अधिवक्ता श्री राजेन्द्र त्रिपाठी ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

5. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागणों के तर्कों को विस्तार से सुना और सत्र विचारण क्र.268/2004 के अभिलेख का परिशीलन किया। अपीलार्थी की दोषसिद्धि मुख्यतः ओमशिवा(अ.सा.-3),एलन(अ.सा.2),नीलचंद(अ.सा.5),चंद्रिकाबाई(अ.सा.10)और भानचंद्रिका(अ.सा.11) के अभिसाक्ष्य पर आधारित है।

6. रेखचंद (अ.सा.1) ने कथन किया कि घटना के दिन लगभग 3-4 बजे वह कोठार में था। उसका पुत्र नीलचंद(अ.सा.5) दौड़ते हुए आया और बताया कि बड़े भाई राधेश्याम (मृतक)को डॉ.लक्ष्मीनारायण के घर के पास गली में किसी ने मार दिया है। वह दौड़ते हुए घटनास्थल पर गया। रास्ते में उसने देखा कि अपीलार्थी टंगिया(कुल्हाड़ी) लेकर भाग रहा था और टंगिया(कुल्हाड़ी) रक्त

से सना हुआ था। उसने मृतक को ट्रैक्टर से लोरमी अस्पताल पहुँचाया। उसने मृतक के सिर और गर्दन के पीछे चोटें देखी। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी1) दर्ज कराई, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7. एलन(अ.सा.-2) ने बयान दिया कि मृतक राधेश्याम उसका पुत्र था, जिसे 'मुन्ना' के नाम से भी जाना जाता था। घटना के दिन जब मृतक, दास के परछी(बरामदा)में बैठा हुआ था, अपीलार्थी ने मृतक पर टंगिया(कुल्हाड़ी) से हमला किया। शोर सुनकर वह घटनास्थल पर पहुँचा था और देखा कि अपीलार्थी राधे (मृतक) पर टंगिया से वार कर रहा था। उसे देखकर अपीलार्थी वहाँ से भाग गया।

8. नीलचंद(अ.सा.5) ने बयान देते हुए बताया कि घटना के दिन अपीलार्थी ने मृतक राधेश्याम को टंगिया(कुल्हाड़ी)से मार डाला था। लगभग 3-4 बजे वह गली के पास मौजूद था और क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहा था। अपीलार्थी ने मृतक पर गली में, घर के सामने हमला किया। इसके बाद वह अपने पिता रेखचंद(अ.सा.1), जो कोठार में थे, के पास गया और बताया कि अपीलार्थी ने मृतक पर टंगिया से हमला किया। अपीलार्थी ने मृतक के सिर और गर्दन पर वार किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. पीलाबाई(अ.सा.12) ने साक्ष्य कथन अभिलिखित किया कि उसकी पुत्रवधू ने डॉ. लक्ष्मीनारायण के घर के पास चिल्लायी। उसकी आवाज सुनकर वह घटनास्थल पर पहुँची। उसने देखा कि उसका पुत्र राधेश्याम (मृतक)वहाँ पड़ा हुआ था। मृतक से पूछने पर उसने बताया कि अपीलार्थी ने उस पर हमला किया है। उसने आगे कहा कि मृतक के सिर और गर्दन पर चोटें थीं।

10. यदि वास्तव में एलन(अ.सा.2), नीलचंद(अ.सा.5) और उदयराम (अ.सा.7) ने घटना देखी होती, तो नीलचंद(अ.सा.5) अपने पिता रेखचंद(अ.सा.1) को यह बताता कि हमलावर अपीलार्थी था, न कि यह कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मृतक पर हमला किया। यदि मृतक ने पीलाबाई(अ.सा.12) के सामने मृत्युकालिक मौखिक कथन दिया होता, तो वह इसे

रेखचंद(अ.सा.1) को बताती और इसका उल्लेख केस डायरी अभिकथन(प्र.डी-9) में होता। किन्तु प्र.डी-9 में मौखिक मृत्युकालिक कथन का कोई उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार एलन (अ.सा.2) के केस डायरी अभिकथन(प्र.डी-3), नीलचंद(अ.सा.5) के केस डायरी अभिकथन(प्र.डी-5) और उदयराम(अ.सा.7) के केस डायरी अभिकथन(प्र.डी-6) में भी अपीलार्थी का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है और प्रतीत होता है कि उसका नाम बाद में जोड़ा गया था। यदि उपरोक्त साक्षियों ने वास्तव में घटना देखी होती, तो इसका उल्लेख प्र.सू.प्र./प्राथमिकी(प्र.पी-1) में होता। किन्तु प्र.सू.प्र./प्राथमिकी(प्र.पी-1)में ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त साक्षियों ने कथित घटना नहीं देखी थी। अतः ये प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं। उनका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है इसलिए उन पर विचार नहीं किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अब हम यह परीक्षण करेंगे कि ओमशिवा(अ.सा.3) का साक्ष्य निश्चायक व विश्वसनीय है तथा दोषसिद्धि के आधार के रूप में लिया जा सकता है या नहीं ? यह विवादित नहीं है कि ओमशिवा(अ.सा.3) एक बाल साक्षी है। बयान दर्ज किए जाने की तिथि पर उसकी आयु 11 वर्ष थी।

12. दत्तू रामराव सखारे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, 1997(5)एससीसी 341 में यह अभिनिर्धारित किया कि “यदि कोई बाल साक्षी, तथ्यों का सक्थिक अभिकथन करने में सक्षम और विश्वसनीय पाया जाता है, तो उसका साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार हो सकता है। दूसरे शब्दों में, शपथ के अभाव में भी बाल साक्षी का साक्ष्य धारा 118 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विचारणीय है, बशर्ते कि वह पूछे गए प्रश्नों को समझ सके और उनका तर्कसंगत उत्तर दे सके। बाल साक्षी का साक्ष्य और उसकी विश्वसनीयता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। किसी बाल साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय को केवल यह सावधानी बरतनी चाहिए कि साक्षी विश्वसनीय हो और उसका आचरण व भाव-भंगिमा किसी अन्य सक्षम साक्षी के समान हो तथा उसके प्रशिक्षित

कर तैयार किये जाने की संभावना न हो"। यही दृष्टिकोण **निवृत्ति पांडुरंग कोकाटे एवं अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, एआइआर 2008 एससी 1460** में भी पुनः दोहराया गया।

13. मध्यप्रदेश राज्य विरुद्ध रमेश व एक अन्य 2011(4) एससी 786 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया:

"7. 'रमेश्वर विरुद्ध राजस्थान राज्य, एआइआर 1952 एससी 4 : 1952 क्रि ला ज 547 में इस न्यायालय ने धारा 5 शपथ अधिनियम 1873 तथा धारा 118 साक्ष्य अधिनियम, 1872 का परीक्षण किया और यह अभिनिर्धारित किया **(एआइआर पृष्ठ 55 पैरा 7)**कि प्रत्येक साक्षी साक्ष्य कथन देने में समर्थ व सक्षम है, जब तक कि न्यायालय को यह न लगे कि वह कम उम्र, अत्यधिक वृद्धावस्था, शारीरिक या मानसिक रोग अथवा अन्य समान कारणों से प्रश्नों को समझने या युक्तिसंगत उत्तर देने में असमर्थ है। वस्तुतः प्रत्येक साक्षी सक्षम होता है, जब तक न्यायालय अन्यथा न माने"। न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया(**एआइआर पृष्ठ 56 पैरा 11**) कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"11. ....यह वांछनीय है कि न्यायाधीश और दंडाधिकारी सदैव यह अभिमत दर्ज करें कि बाल साक्षी सत्य बोलने के कर्तव्य को समझता है और यह भी निर्दिष्ट करें कि वे ऐसा क्यों

मानते हैं, अन्यथा साक्षी की विश्वसनीयता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है, इतना ज्यादा कि कुछ मामलों में साक्ष्य को समग्रता से अस्वीकार करना आवश्यक हो सकता है। परंतु, मेरा मानना है कि,चाहे औपचारिक प्रमाणपत्र न हो, फिर भी परिस्थितियों से यह ज्ञात अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या न्यायाधीश या दंडाधिकारी वास्तव में उस मत के थे"।

8. मंगू विरुद्ध म.प्र.राज्य, एआइआर 1995 एससी 959**:** 1995 क्रि ला ज 1461 में इस न्यायालय ने बाल साक्षी के साक्ष्य पर विचार करते हुए यह प्रतिपादित किया कि बालक को

प्रशिक्षित कर तैयार किये जाने की संभावना सदैव रहती है, परंतु केवल इसी आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बाल साक्षी अवश्य ही सिखाया-पढ़ाकर प्रशिक्षित किया गया

होगा। न्यायालय को यह निर्धारित करना होगा कि बाल्य साक्षी वास्तव में प्रशिक्षित किया गया है या नहीं। यह साक्ष्यों की जाँच करके और उसके अंतर्निहित तथ्यों के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि क्या उसमें प्रशिक्षित कर सिखाने के कोई संकेत मौजूद हैं।

9. पंच्छी विरुद्ध उ.प्र.राज्य, 1998(7)एससीसी 177: 1998 एससीसी (क्रि.) 1561: एआइआर 1998 एससी 2726 में इस न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती अनेक निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह निर्धारित किया कि बाल साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास करने से पहले उसका समुचित रूप से संपोषित होना आवश्यक है। तथापि, यह विधि का नियम नहीं बल्कि व्यावहारिक बुद्धिमत्ता का नियम है।

ऐसा अवधारित नही किया जा सकता कि किसी बाल साक्षी का साक्ष्य सदैव ऐसी असाध्य ढंग से कलंकित रहेगा, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। विधि यह नहीं कहती कि यदि साक्षी बालक है तो उसका साक्ष्य अस्वीकार कर दिया जाए, भले ही वह विश्वसनीय हो। विधि यह कहती है कि बाल साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन अत्यधिक सावधानी व पूरी सतर्कता से किया जाना चाहिए क्योंकि बालक दूसरों की बातों से प्रभावित हो सकता है और इस प्रकार बाल साक्षी को सिखाया-पढ़ाकर गवाही के लिए तैयार किया जाना बहुत आसान होता है।(एससीसी पृष्ठ 181, पैरा 11)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. निवृत्ति पांडुरंग कोकाटे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, 2008(12) एससीसी 565**:** 2009(1)एससीसी (क्रि.)454**:** एआइआर 2008 एससी 1460 के मामलों में बाल साक्षी के संबंध में विचार करते हुए इस न्यायालय ने यह सिद्धांत(एससीसी पृष्ठ 567-68पैरा 10)प्रतिपादित किया कि:

“10....’.....7..इस प्रश्न पर निष्कर्ष कि बाल साक्षी में यथेष्ट बुद्धिमत्ता है या नहीं, मुख्यतः विचारण न्यायाधीश पर निर्भर करता है, जो उसके आचरण, भाव-भंगिमा, उसकी जाहिर समझ-बूझ अथवा उसकी कमी पर गौर करता है और वह न्यायाधीश बच्चे की क्षमता, बुद्धिमत्ता

तथा शपथ के दायित्व, समझ को जानने के लिए, किसी भी प्रकार की परीक्षा ले सकता है। विचारण न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा तब बदला जा सकता है जब अभिलेखों से स्पष्ट हो कि उसका निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण था। यह सावधानी व सतर्कता आवश्यक है क्योंकि बच्चे आसानी से सिखाई-पढ़ाई बातों से संवेदी होकर प्रभावित हो जाते हैं और अक्सर अपनी ही कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं। यद्यपि यह सुस्थापित सिद्धांत है कि बाल साक्षी खतरनाक साक्षी होते हैं कि वे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, और उन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाला जा सकता है, परंतु यह भी एक मान्य नियम है कि यदि उनके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उसमें सत्य की झलक है तो बाल साक्षी के साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. किसी बालक के साक्ष्य से यह प्रकट होना चाहिए कि वह सही और गलत में विभेद कर सकता है न्यायालय प्रतिपरीक्षण से यह पता लगा सकता है कि क्या बचाव पक्ष का अधिवक्ता ऐसा कुछ दिखा पाया कि बच्चा सही और गलत में फ़र्क नहीं कर सकता। न्यायालय उसकी उपयुक्तता का परीक्षण प्रश्न पूछकर सुनिश्चित कर सकता है और यदि ऐसे प्रश्न नहीं भी पूछे गए हों, तो उसके साक्ष्य से यह जाना जा सकता है कि वह अपने कथन के निहितार्थ को पूरी तरह समझता था और कड़े प्रतिपरीक्षण का सामना करते हुए उसकी साख प्रभावित नहीं हुई। बाल साक्षी को शपथ पर साक्ष्य देने की पवित्रता तथा पूछे गए प्रश्नों के महत्व को समझने में सक्षम होना चाहिए।(देखें हिम्मत सुखदेव वहुरवाघ विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 2009(6)एससीसी 712)

12. उ.प्र. राज्य विरुद्ध कृष्णा मास्टर, 2010(12) एससीसी 324**:** 2011(1)एससीसी (क्रि) 381**:** एआइआर 2010 एससी 3071 में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसा कोई विधिक सिद्धांत नहीं है कि यह कल्पनातीत हो कि कम आयु का बालक अपने स्मृति में तथ्यों घटनाओं हेतु ग्रहणशील होता है और उन्हें जीवनभर नहीं भूलता। भविष्य में जब उससे उन घटनाओं के बारे में पूछा जाता है, तो वह उन्हें सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से स्मरण कर बता

सकता है। यदि बच्चा अपराध की सुसंगत घटनाओं को बिना किसी सुधार या अतिरंजितता के स्पष्ट करता है और वह न्यायालय का विश्वास अर्जित करता है, तो उसके साक्ष्य को किसी प्रकार के सम्पोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं होती। कम आयु का बच्चा किसी भी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना या द्वेष रखने में असमर्थ होता है। अतः अभिलेखों में ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे न्यायालय को संतोष हो कि घटना की तिथि और बाल साक्षी के बयान दर्ज होने के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण उसने अभियुक्त को गंभीर प्रकृति के मामले में झूठा फँसाना चाहा।

14. **मोहम्मद कलाम विरुद्ध बिहार राज्य, 2008(7)एससीसी 257** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि

7. पंच्छी विरुद्ध उ.प्र.राज्य 1998(7) एससीसी 177 में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बाल साक्षी का साक्ष्य स्पष्ट तौर पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु उसका मूल्यांकन सावधानीपूर्वक और अधिक सतर्कता से किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चा दूसरों की बातों से आसानी से प्रभावित हो सकता है और इस प्रकार बाल साक्षी को प्रशिक्षित कर साक्ष्य के लिए तैयार किया जाना ज्यादा आसान होता है। न्यायालय को यह आकलन करना होता है कि पीड़िता का न्यायालय में दिया गया बयान उसकी अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, और यह कि वह किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. ओमशिवा (अ.सा.3) ने बयान दिया कि उसके घर के सामने कोई ताश नहीं खेल रहा था। अपीलार्थी वहाँ टंगिया(कुल्हाड़ी) लेकर आया था। अपीलार्थी ने मृतक से पूछा कि वह क्यों बैठा है, मृतक पर टंगिया(कुल्हाड़ी) से वार करना शुरू कर दिया। अपीलार्थी ने सिर पर और फिर गर्दन पर वार किया। वह भागकर अपनी माँ को बुलाने गया। उसने अपनी माँ चंद्रिकाबाई(अ.सा.10) को घटना के बारे में बताया। उन्होंने खड़े होकर घटना देखी। इसके बाद, अपीलार्थी वहाँ से भाग गया।

16. ओमशिवा (अ.सा.3) ने बयान दिया कि उसने अपनी माँ चंद्रिकाबाई (अ.सा.10) को बताया था। उसने आगे यह बताया कि उसने पुलिस को साफ-साफ बताया था कि उसने मृतक पर हमला होते देखा था। उसने आगे अभिकथन किया कि जब अपीलार्थी ने मृतक पर हमला किया तो वह जोर से चिल्लाया था। घटना देखकर, वह सीधे उसके घर आ गया था। इसके तुरंत बाद, उसने अपनी माँ (चंद्रिकाबाई-अ.सा.10) को बुलाया और उन्हें अपने साथ ले गया।

17. चंद्रिकाबाई (अ.सा.10) ने बयान दिया कि कि उनके बेटे (ओमशिवा-अ.सा.3) ने देखा कि अपीलार्थी मृतक पर हमला कर रहा था। घटना देखकर, उनका बेटा उनके पास आया और बताया कि अपीलार्थी मृतक पर हमला कर रहा है। वह घर से बाहर आईं और देखा कि अपीलार्थी मृतक के सिर पर टंगिया से हमला कर रहा था। वह वापस अपने घर के अंदर चली गईं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. घटना की तिथि और समय दिनांक 13-4-2004 लगभग शाम 4 बजे था। उसी दिन लगभग 4:45 बजे प्र.सू.प्र./प्राथमिकी(प्र.पी1) दर्ज किया गया। ओमशिवा(अ.सा.3) का केस डायरी कथन (प्र.डी-4) दिनांक 14-4-2004 को अर्थात घटना के अगले दिन दर्ज किया गया। ओमशिवा(अ.सा.3) ने विशेष रूप से साक्ष्य कथन दिया कि उसने पुलिस को सीधे व साफ तौर पर घटना के बारे में बताया था और जब अपीलार्थी ने मृतक पर हमला किया था, तब वह चिल्लाया था। उसने विशिष्ट रूप से बयान दिया कि अपीलार्थी ने मृतक के सिर और गर्दन पर हमला किया था।

19. डॉ.सागर शुक्ला(अ.सा.15) ने बयान दिया कि उन्होंने मृतक राधेश्याम का परीक्षण किया था और अपनी प्रतिवेदन(प्र.पी-10) दिया था। उन्होंने आगे अभिकथन किया कि मृतक के सिर और गर्दन पर कटे हुए घाव पाए गए थे। डॉ.अरविंद शुक्ला(अ.सा.23) ने साक्ष्य अभिकथन दिया कि उन्होंने मृतक का शव परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन(प्र.पी-13अ)दिया, जिसमें उन्होंने चोटों का विवरण पाया:

(1) बाएं गाल, माथे, भौंह के बाहरी आधे हिस्से के ऊपर बाईं तरफ खरोंच के ताज़ा निशान

(2) बाएँ ललाट एवं पृष्ठीय पार्श्व अस्थि(फ्रंटो-पैराइटल) क्षेत्र पर हाल ही में ठीक हुआ घाव, इस घाव के नीचे ललाट अस्थि (फ्रंटल बोन) क्षैतिज एवं तिरछे रूप से कटी हुई थी, जिसकी लंबाई लगभग 7 सेमी तथा गहराई 0.5 सेमी थी।

(3) दाएँ पार्श्विका पश्चकपाल (पैराइटो-ऑक्सिपिटल) क्षेत्र पर हाल ही में ठीक किया हुआ घाव जो धनु सिवनी {सैजिटल स्यूचर(खोपड़ी के पीछे अस्थियों के बीच का संयोजी उत्तक जोड़)}के समानांतर था। इसके नीचे पर्श्वकपाल सल्कस {पैराइटल-ऑक्सिपिटल(मस्तिष्क के सेरेब्रल कार्टेक्स में स्थित बहुत गहरी खांच)}अस्थि कटी हुई थी और मस्तिष्कीय पदार्थ बाहर आ गया था। घाव का आकार लगभग 8 सेमी × 1.5 सेमी था।

(4)ऑक्सिपिटल {(मस्तिष्क के पीछे के बांया हिस्सा)}क्षेत्र तथा नीचे की हड्डी पर हाल ही का 5सेमी×0.5सेमी का घाव था।

(5) गर्दन के बाहरी और दाएँ हिस्से पर हाल ही में ठीक हुआ घाव।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने आगे बयान दिया कि मृत्यु का कारण सिर की चोट और चोट संख्या(3) से उत्पन्न रक्तस्राव के परिणामस्वरूप हुआ आघात (शॉक) था।

20. ओमशिवा(अ.सा.3) का केस डायरी अभिकथन(प्र.डी4) बिना किसी विलंब के दर्ज किया गया था और उसके अभिकथन की सम्पुष्टि, उसकी माँ चंद्रिकाबाई (अ.सा.10) तथा चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है। अतः ओमशिवा(अ.सा.3) का साक्ष्य निश्चायक व विश्वसनीय है तथा अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि के आधार के रूप में लिया जा सकता है।

21. हमने ओमशिवा(अ.सा.3) व चंद्रिकाबाई(अ.सा.10) के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण व मनन किया है। ओमशिवा(अ.सा.3) ने विशिष्ट रूप से अभिकथन किया था कि घटना के दिन अपीलार्थी ने मृतक पर टंगिया (कुल्हाड़ी) से हमला किया। ओमशिवा(अ.सा.3) एक स्वतंत्र साक्षी है

और उसके पास अपीलार्थी को झूठे अपराध में फँसाने का कोई हेतुक नहीं था। अतः उसका साक्ष्य अभिकथन निर्णायक और अकाट्य है।

22. अतः, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश का वह निष्कर्ष, जिसके आधार पर उन्होंने बाल साक्षी ओमशिवा (अ.सा.3) की साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराया है, इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करता।

23. उपर्युक्त कारणों से, हमें इस अपील में कोई सार नहीं दिखाई देता; यह खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे प्र.सू.प्र. खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

हस्ताक्षरित/-
राधेश्याम शर्मा
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by : Tapan Kumar Saha, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur